न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— सुनील कुमार पीपलीवाल आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 41 / 2023 दायर दिनांकः 13.06.2023

उनवान

1. लालचन्द उम्र 49 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी हाथी दिलोद तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादी

बनाम

1. जयलाल पुत्र धूलीलाल जाति मीणा निवासी खेड़ली नाहरिया
2. मूलचन्द पुत्र प्रभूलाल जाति मीणा निवासी खेड़ली नाहरिया
3. मुकेश पुत्र प्रभूलाल जाति मीणा निवासी खेड़ली नाहरिया तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
4. पुष्पा बाई पुत्री धूलीलाल जाति मीणा निवासी गोल्याखेड़ी तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज०)
5. राधा बाई पुत्री धूलीलाल जाति मीणा निवासी दोबड़ा तहसील सांगोद जिला कोटा (राज०)
6. धनराज पुत्र रामपाल जाति मीणा निवासी खेड़ली नाहरिया
7. किशनगोपाल पुत्र रामपाल जाति मीणा निवासी खेड़ली नाहरिया
8. रामरतन पुत्र रामपाल जाति मीणा निवासी खेड़ली नाहरिया
9. गायत्री बाई पुत्री रामपाल जाति मीणा निवासी मूण्डला बिसोती
10. सोनू पुत्र मेघराज जाति मीणा निवासी मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
11. रामचन्द्र पुत्र धूलीलाल जाति मीणा निवासी खेड़ली नाहरिया
12. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर. टी. एक्ट

उपस्थिति :—

वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा

प्रतिवादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री हरीश गालव द्वितीय

निर्णय दिनांक 13.11.2025

वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम दिलोद हाथी तहसील अटरू में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 के खसरा नं. 2251/1511 की 0.55 हे0, ख.नं. 2252/1923 की 0.45 हे0 कुल किता 2 की 1.00 हेक्टर भूमि स्थित है। जिसकी नकल जमाबन्दी संलग्न है जो काबिल गौर है। वादी ने दिलोद हाथी की दिनांक 01/04/2009 को खाता संख्या 159 का ख.नं. 1550/2112 का रकबा 0.08 हे०, ख.नं. 1923 का रकबा 1.71 हे0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.79 हे0 में से हिस्सा 2/3 का 13/17 हिस्सा जो कुल आराजी का हिस्सा 26/51 क्रय किया था एवं तभी से वादी उक्त भूमि पर लगातार आज तक काश्त करता चला आ रहा है। वादी द्वारा बेचान नामा से जमीन क्रय करने के बाद वादी को अपने नाम तहसीलदार अटरू के यहां उक्त भूमि का इन्तकाल दर्ज करवाना था इस हेतु वादी ने तहसीलदार अटरू के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया था मगर इन्तकाल दर्ज नहीं हुआ। वादी फौज में सर्विस करता था अभी रिटायर्डमेन्ट होने के बाद वादी ने अपना खाता देखा तो वादी को जानकारी हुई कि रजिस्ट्री का इन्तकाल दर्ज नही हुआ। वादी अपनी रजिस्ट्री को लेकर तहसीलदार अटरू के पास गया और पूरा रिकार्ड दिखाया तब जानकारी में आया कि वादी की रजिस्ट्री खाता संख्या एवं खसरा नम्बर सेटलमेन्ट विभाग द्वारा एवं ऑनलाइन रिकार्ड होने से चेन्ज हो गये है। इसलिए उक्त रजिस्ट्री का इन्तकाल खोलना सम्भव नही है। खाता परिवर्तन होने के बाद खाता संख्या 159 का नया खाता 490 बना था जिसकी जमाबन्दी एवं मिलान क्षेत्रफल संलग्न है। जिसमें खातेदार प्रभूलाल एवं रामपाल की मृत्यु हो गई है। प्रभूलाल के स्थान पर उसके वारिस प्रतिवादी क्रम 2 व 3 बनाया गया है। रामपाल के वारिस प्रतिवादी क्रम 6, 7, 8, 9 बनाया गया है एवं रामपाल की पुत्री किस्कन्दा की मृत्यु हो गई है जिसके वारिस प्रतिवादी क्रम 10 बनाया गया है। वादी द्वारा खरीदशुदा रजिस्ट्रीशुदा भूमि का इन्तकाल बिना सहायता न्यायालय खुलना सम्भव नही है। तहसीलदार अटरू द्वारा वादी को दिनांक 21/02/2023 को न्यायालय से आदेश लाने हेतु कहा गया। उक्त भूमि ग्राम हाथी दिलोद तहसील अटरू में है जिसका क्षेत्रा–धिकार एवं श्रवणाधिकार श्रीमान के यहां होने से श्रीमान को सुनने का पूर्ण अधिकार है। वाद उचित समय अवधि में श्रीमान की सेवा में पेश है जो सुनने योग्य है। वाद उचित कोर्ट फीस पर पेश है।

अतः निम्न सादिर डिक्री पारित करने का आदेश प्रदान करें :–

(अ) वादी द्वारा ग्राम हाथी दिलोद तहसील अटरू की खाता संख्या 159 की रजिस्ट्रीशुदा भूमि का खाता संख्या 490 में इन्तकाल दर्ज करने का एवं खातेदार घोषित करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वह वादी को प्रदान की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी कमं 1 लगायत 11 द्वारा इकबाली जवाब पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 से मद नं0 9 स्वीकार है। वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार है। अतः माननीय न्यायालय में इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है की वादी का वाद डिक्री किये जाने में हम प्रतिवादी कम 1 ता 11 को कोई आपत्ति नही है।

साक्ष्यवादी के तहत शपथ पत्र Pw1 लालचन्द पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी दिलोदहाथी, Pw2 मूर्ति देवी पत्नी लालचन्द जाति मीणा निवासी दिलोदहाथी Pw3 रामकरण पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी दिलोदहाथी, व Pw4 चन्द्रबेल पत्नी रामकरण जाति मीणा निवासी दिलोदहाथी के पेश किए गए तथा शपथ पत्र Pw1 लालचन्द पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी दिलोदहाथी के बयान लेखबद्व किए गए।

प्रकरण के संबंध में तहसीलदार अटरू से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा रिपोर्ट कमांक/राजस्व/2025/1430 दिनांक 07.05.2025 से पेश की गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट अनुसार खाता संख्या 490 के ख0नं0 2251/1511 रकबा 0.55 है0 जयलाल, रामचन्द्र, रामपाल प्रभूलाल पुत्रान धूलीलाल, पुष्पा बाई, राधा बाई पुत्रियां धूलीलाल के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं उक्त खातेदार ही इस भूमि पर काश्त करते है। जयलाल पुत्र धूलीलाल हिस्सा 1/6 पर एच0डी0एफ0सी0 बैंक शाखा खेडलीगंज का रहन का नोट लगा है। ख0नं0 2252/1923 रकबा 0.45 है0 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार जयलाल, प्रभूलाल, रामचन्द्र, रामपाल पुत्रान धूलीलाल राधाबाई, पुष्पा बाई पुत्रियां धूलीलाल के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं लालचन्द पुत्र कन्हैयालाल उक्त भूमि पर काश्त करते है एवं ख0नं0 2248/1923 रकबा 0.17 है0 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार देवकरण, रमेश, मोरपाल, मुरलीधर, धर्मराज पुत्रान भवानीशंकर धनकंवर पुत्री भवानीशंकर नाम दर्ज रिकार्ड है। मौके पर कब्जा लालचन्द पुत्र कन्हैयालाल का है। ख0नं0 2246/1923 रकबा 0.17 है0 वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार खातेदार चन्दालाल, चौथमल, बनवारी, हेमराज पुत्रान

शंकरलाल लीला बाई पुत्री शंकरलाल जाति मीणा सा0 खेडलीनाहरिया के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं लालचन्द पुत्र कन्हैयालाल उक्त ख0नं0 पर काश्त करते है।

अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सूनी गई। बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी ग्राम व माल दिलोदहाथी सम्वत 2072—2075 खाता संख्या 490 (प्रदर्श—1) खातेदार जयलाल पुत्र धुलीलाल, प्रभूलाल पुत्र धुलीलाल, पुष्पा बाई पुत्री धुलीलाल, राधाबाई पुत्री धुलीलाल, रामचन्द्र पुत्र धुलीलाल, रामपाल पुत्र धुलीलाल के नाम खाते दर्ज रिकार्ड है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रसीद संख्या 2009000347 दिनांक 01.04.2009 व Document Sr. No. 2009000640 उप पंजीयक अटरू (प्रदर्श—3) के अनुसार रामपाल, प्रभूलाल, रामचन्द्र, जयपाल पुत्रान, पुष्पा बाई व राधा बाई पुत्रियां धूलीलाल जाति मीणा निवासी खेडलीनाहरिया तहसील अटरू ने केता लालचन्द पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी हाथी दिलोद तहसील अटरू के पक्ष में ग्राम हाथीदिलोद के खाता संख्या नया 159 पुराना 132 की ख0नं0 1550/2112 का रकबा 0.08 है0, ख0नं0 1923 का रकबा 1.71 है0 कुल किता 2 का रकबा 1.79 है0 में से विक्रेतागण (प्रथम पक्षकार) का हिस्सा 2/3 का 13/17 कुल आराजी का 26/51 बेचान किया है।

नकल मिलान क्षेत्रफल राजस्थान सरकार भूप्रबन्ध विभाग 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 (प्रदर्श—4) ग्राम हाथीदिलोद तहसील अटरू के अनुसार ख0नं0 1511 रकबा 2.20 है0 का पुराना ख0नं0 416 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा व ख0नं0 1923 रकबा 1.71 है0 पुराना ख0नं0 376 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा है।

प्रतिवादी क्रम 1 ता 11 ने स्वयं उपस्थित होकर इकबाली जवाब में कथन किया है कि वादी का वाद डिक्री किये जाने में हमे कोई आपत्ति नही है।

ग्राम दिलोदहाथी पटवार हल्का दिलोदहाथी तहसील अटरू की जमाबन्दी सम्वत 2072—2075 (प्रदर्श—1) के अनुसार खाता संख्या नया 490 पुराना 473 के ख0नं0 2251/1511 रकबा 0.55 है0, ख0नं0 2252/1923 रकबा 0.45 है0 कुल किता 2 का रकबा 1.00 है0 आराजी जयलाल पुत्र धुलीलाल हिस्सा 1/6 जाति मीणा, प्रभूलाल पुत्र धुलीलाल हिस्सा 1/6 जाति मीणा, पुष्पाबाई पुत्र धुलीलाल हिस्सा 1/6 जाति मीणा, राधाबाई पुत्री धुलीलाल हिस्सा 1/6 जाति मीणा, रामचन्द्र पुत्र धुलीलाल हिस्सा 1/6 जाति मीणा व रामपाल पुत्र धुलीलाल हिस्सा 1/6 जाति मीणा सा0 खेडलीनाहरिया खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड स्थित है। जिनमें से जयलाल पुत्र धुलीलाल (प्रतिवादी क्रम 1), पुष्पाबाई पुत्री धुलीलाल (प्रतिवादिया क्रम 4), राधाबाई पुत्री धुलीलाल (प्रतिवादिया क्रम 5) रामचन्द्र पुत्र धुलीलाल (प्रतिवादी क्रम 11 है) तथा प्रभूलाल पुत्र धुलीलाल के वारिसान मूलचन्द व

मुकेश (प्रतिवादी कम 2 व 3) है तथा रामपाल पुत्र धुलीलाल के वारिसान धनराज, किशनगोपाल, रामरतन, गायत्री (प्रतिवादी कम 6 ता 9) है।

तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट अनुसार खाता संख्या 490 के ख0नं0 2251/1511 रकबा 0.55 है0 जयलाल, रामचन्द्र, रामपाल प्रभूलाल पुत्रान धूलीलाल, पुष्पा बाई, राधा बाई पुत्रियां धूलीलाल के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं उक्त खातेदार ही इस भूमि पर काश्त करते है। जयलाल पुत्र धूलीलाल हिस्सा 1/6 पर एच0डी0एफ0सी0 बैंक शाखा खेडलीगंज का रहन का नोट लगा है। ख0नं0 2252/1923 रकबा 0.45 है0 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार जयलाल, प्रभूलाल, रामचन्द्र, रामपाल पुत्रान धूलीलाल राधाबाई, पुष्पा बाई पुत्रियां धूलीलाल के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं लालचन्द पुत्र कन्हैयालाल उक्त भूमि पर काश्त करते है।

उपरोक्त विवरण, विश्लेषण, रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 01.04.2009 इकबाली जवाब व तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अनुसार वादी का वाद न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:क्रियात्मक आदेश:–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम व माल दिलोद हाथी पटवार हल्का दिलोदहाथी तहसील अटरू के खाता संख्या नया 490 पुराना 473 के ख0 नं0 2251/1511 का रकबा 0.55 हे0 व ख0नं0 2252/1923 का रकबा 0.45 है0 कुल किता 2 का रकबा 1.00 हेक्टर आराजी में से 0.9125 है0 पर वादी लालचन्द पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **13.11.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री सनील कुमार पीपलीवाल (**R.A.S.**) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 41/2023 दायर दिनांकः 13.06.2023

उनवान

1. लालचन्द उम्र 49 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी हाथी दिलोद तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादी

बनाम

1. जयलाल पुत्र धूलीलाल जाति मीणा निवासी खेड़ली नाहरिया
2. मूलचन्द पुत्र प्रभूलाल जाति मीणा निवासी खेड़ली नाहरिया
3. मुकेश पुत्र प्रभूलाल जाति मीणा निवासी खेड़ली नाहरिया तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
4. पुष्पा बाई पुत्री धूलीलाल जाति मीणा निवासी गोल्याखेड़ी तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज०)
5. राधा बाई पुत्री धूलीलाल जाति मीणा निवासी दोबड़ा तहसील सांगोद जिला कोटा (राज०)
6. धनराज पुत्र रामपाल जाति मीणा निवासी खेड़ली नाहरिया
7. किशनगोपाल पुत्र रामपाल जाति मीणा निवासी खेड़ली नाहरिया
8. रामरतन पुत्र रामपाल जाति मीणा निवासी खेड़ली नाहरिया
9. गायत्री बाई पुत्री रामपाल जाति मीणा निवासी मूण्डला बिसोती
10. सोनू पुत्र मेघराज जाति मीणा निवासी मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
11. रामचन्द्र पुत्र धूलीलाल जाति मीणा निवासी खेड़ली नाहरिया
12. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर. टी. एक्ट

उपस्थिति :–
वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा
प्रतिवादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री हरीश गालव द्वितीय
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम व माल दिलोद हाथी पटवार हल्का दिलोदहाथी तहसील अटरू के खाता संख्या नया 490 पुराना 473 के ख0 नं0 2251/1511 का रकबा 0.55 हे0 व ख0नं0 2252/1923 का रकबा 0.45 है0 कुल किता 2 का रकबा 1.00 हेक्टर आराजी में से 0.9125 है0 पर वादी लालचन्द पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X..............................
.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 13.11.2025 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)